न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्र. 2483–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–6–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 264/अपील/2013–14.

.....

असालत खॉ पुत्र स्व.श्री अदालत खॉ,
मृतक के वारिसान :–
(1) नूरजहॉ बेवा स्व0श्री असालत खॉ
(2) शंहशाह खॉ पुत्र स्व.श्री असालत खॉ
(3) नबाव खॉ पुत्र स्व.श्री असालत खॉ
(4) अफसर खॉ पुत्र स्व.श्री असालत खॉ
(5) सलामन खॉ पुत्र स्व.श्री असालत खॉ
(6) अजमत खॉ पुत्र स्व.श्री अदालत खॉ
(7)मुसर्रफ खॉ पुत्र स्व0श्री अदालत खॉ
निवासी ग्राम गौहरगंज, तहसील गौहरगंज
जिला रायसेन म0प्र0
(8) निशा बी पुत्री स्व0श्री असालत खॉ पत्नि श्री अनवार खॉ
निवासी आरिफ नगर, भोपाल म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रूखसाना बी बेवा स्व0श्री सलामत खॉ
2–रूबीला पुत्री स्व0 श्री सलामत खॉ अवयस्क
संरक्षक माता रूखसाना बी
निवासी ग्राम गौहरगंज तहसील गौहरगंज
जिला रायसेन म0प्र0
3–हजारीलाल पुत्र श्री हल्कूलाल
निवासी ग्राम डंगरवाड़ा तहसील गौहरगंज
जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 3

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–06–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1 व 2 के पति एवं पिता स्व0असालत खॉ एवं स्व0सलामत खॉ द्वारा तहसीलदार तहसील गौहरगंज के समक्ष आपसी बटवारा होने के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा आपसी सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया । तत्पश्चात् सलामत खॉ की मृत्यु होने के उपरांत उसके वारिसान अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–1–2014 को आदेश पारित कर अवधि बाह्य अपील में गुणदोष पर आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–6–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है और सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा आवेदकगण के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया

है, जो चौकीदार के पास होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, इसलिये इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया था जिसे निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । यह भी कहा गया कि यदि यह मान भी लिया जाये कि अनावेदक कमांक 1 स्व0 सलामत खॉ की अवैधानिक पत्नी है तब भी सलामत खा की पुत्री अनावेदक कमांक 2 है । अंत में कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा एक एकड़ भूमि कय की गई है जो कि उसे प्राप्त होना चाहिये ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में सह खातेदारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में तो किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, परन्तु उनके द्वारा बटवारे के संबंध में किसी प्रकार का कोई निर्णण नहीं लिया गया है, जबकि संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के फलस्वरूप उन्हें उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये आवश्यकता होने पर अतिरिक्त साक्ष्य लेकर प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण करना था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है

और अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाना उचित है कि वे सभी हितबद्ध पक्षों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुये यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर विधिवत् बटवारा आदेश पारित करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–6–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–2014 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर